


30/18

वाद सं. सफ़ीयत / भवकर खां

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही, मय इनिशियल्सजज	न अहक की तामीलमेंजा
04.06.19	<p>पत्रावली पेश हुई। वादीनी एवं उनके वकील में से कोई उपस्थित नहीं। आज अदालत समय में रुक-रुक कर तीन बार आवाजें दिलवाये जानें के बावजूद वादीनी एवं उनके वकील में से किसी के उपस्थित नहीं होने पर वाद अन्तर्गत आदेश 9 नियम 2 व आदेश 9 नियम 3 सीपीसी के तहत अदम हाजरी एव अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल सुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;"> उपस्थित अधिकारी शिव</p>	

